



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276146
CG-DL-E-12092026-276146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4790]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4790]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4980(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ७५२ के परभणी-गंगाखेड रोडपर किमी ७५+६०० पर दुसलगांव के पास गोदावरी नदीपर अतिरिक्त पुल के निर्माण के लिए राजमार्ग के भू-खण्ड का निर्माण करना शामिल है, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी और भूसंपादन अधिकारी, गंगाखेड को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ७५२ के परभणी-गंगाखेड रोडपर किमी ७५+६०० पर दुसलगांव के पास अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: परभणी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गंगाखेड					
गांव का नाम: खळी					
1	346	निजी	कृषी	0.2642 (हेक्टेयर)	0.2642
2	River	सरकारी	अकृषी	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
गांव का नाम: दुसलगाव					
3	39	निजी	कृषी	0.2198 (हेक्टेयर)	0.2198
4	River	सरकारी	अकृषी	0.1933 (हेक्टेयर)	0.1933
Total					0.8573

[फा. सं. RW/NH-12014/149/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4980(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of Major Bridge across the Godavari River near Dusalgaon Village at km 75+660 (Design km 29+040) on the Parbhani to Gangakhed section of NH-752K in the district of PARBHANI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer & LAO, Gangakhed in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, for Construction of Major Bridge across the Godavari River near Dusalgaon Village at km 75+660 (Design km 29+040) on the Parbhani to Gangakhed section of NH-752K in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PARBHANI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gangakhed					
Village: Khali					
1	346	Private	Agriculture	0.2642 (Hectare)	0.2642
2	River	Government	Non Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
Village: Dusalgaon					
3	39	Private	Agriculture	0.2198 (Hectare)	0.2198
4	River	Government	Non Agriculture	0.1933 (Hectare)	0.1933
Total					0.8573

[F. No. RW/NH-12014/149/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director